

Act No. 26 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 16

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 41 का संशोधन ।

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन  
विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ ।

(2) यह 16 जुलाई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 41 का  
संशोधन ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

शिमला-171004.

शिमला: 30-9-2013

में इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ

शिमला-171002.

शिमला: 28-9-2013

शुभाश्वरी देवी

अध्यक्ष  
विधान सभा, शिमला

डा. राजपाल  
राजपाल  
हिमाचल प्रदेश

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

BILL NO. 16 OF 2013

**THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

**THE MAHARAJA AGRASEN UNIVERSITY  
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT  
BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to amend the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 15 of 2013).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.


Short title  
and  
commence-  
ment.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16<sup>th</sup> day of July, 2012.


15 of 2013 2. In section 41 of the Maharaja Agrasen University (Establishment and Regulation) Act, 2012, in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted.

Amendment  
of section  
41.

मैं, "महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 16)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

  
राज्यपाल  
हिमाचल प्रदेश  
हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने "महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 16)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

  
सचिव (विधि),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।